

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-21/11/2025

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर में वन्यजीव सुरक्षा अन्तर्गत बैरक निर्माण कार्य हेतु कुल ₹120.11 लाख (एक करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹60.00 लाख (साठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक भवन योजनान्तर्गत मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर में वन्यजीव सुरक्षा अन्तर्गत बैरक निर्माण कार्य हेतु कुल ₹120.11 लाख (एक करोड़ बीस लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹60.00 लाख (साठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-966, दिनांक-18.11.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, उप शीर्ष-0102-भवन, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-4406010700102, विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।


5. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत् अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। सामग्री का क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के संबंध में जहाँ नियमानुसार आवश्यक हो निविदा संबंधी नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
10. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
11. संचिका संख्या-307/2025 के पृष्ठ-02/टि० पर दिनांक-20.11.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-21.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रधान सचिव की स्वीकृति एवं पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-21.11.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।


विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-307/2025- 6047 / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-21/11/2025


प्रतिलिपि:- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-307/2025- 6047 / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-21/11/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2025-26 वन्यजीव सुरक्षा अन्तर्गत बैरक के निर्माण का प्रस्ताव की विवरणी

क्रम सं०	प्रक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित स्थल	जी०पी०एस० लोकेशन	कार्य विवरण	इकाई	दर ल० में	प्राक्कलित राशि ल० में
1	खडगपुर वन प्रक्षेत्र	भीमवाँध	N 25.069050 E 86.396181	Four Room Barrack	1	4003818	4003818
2	नलयपुर वन प्रक्षेत्र	पुरनाहा मुसहरीटॉड	N 25.54867 E 86.195487	Four Room Barrack	1	4003818	4003818
3	लखीसराय वन प्रक्षेत्र	रामनगर डोला	N 25.124932 E 86.162207	Four Room Barrack	1	4003818	4003818
कुल							12011454

रुपये 12011454/- का तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी
मुंगेर वन प्रमंडल मुंगेर

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना

निदेशक,
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना

(रु. लाख में) 2025-26	(रु. लाख में) 2026-27	कुल राशि (रु. लाख में)
60,00,000	60,11,454	1,20,11,454

And
12/11/25

Director
Ecology & Environment
Patna